[2021] 6 एस. सी. आर 1125

डॉ. यशवंतराव भास्करराव देशमुख

वी.

रघुनाथ किसान सैंदाने

(2021 की सिविल अपील संख्या 6315)

08 अक्टूबर, 2021

[इंदिरा बनर्जी और जे. के. माहेश्वरी, जे. जे.]

विलम्ब/कुंडीः एकतरफा आदेश के खिलाफ अपील दायर करने में 650 दिनों की देरी की निंदा-विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा प्रतिवादी द्वारा अनुबंध का आंशिक रूप से घोषित विस्तार और विशिष्ट प्रदर्शन के लिए राहत को खारिज करते हुए Rs.61,000 की वसूली का आदेश दिया गया

प्रत्यर्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की-अपीलार्थी को विधिवत सेवा प्रदान की गई और वह अपने वकील के माध्यम से उक्त मामले में पेश हुआ-हालांकि, जिला न्यायालय के आर्थिक अधिकार क्षेत्र में वृद्धि के कारण, अपील उच्च न्यायालय से जिला न्यायालय में स्थानांतरित कर दी गई और पेपर प्रकाशन के माध्यम से अपीलार्थी को जारी किया गया नया नोटिस अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ और जिला न्यायालय की कार्यवाही ने एकतरफा अपील की अनुमति दी और इसके पक्ष में विशिष्ट प्रदर्शन दिया

प्रतिवादी-अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की-वहाँ था

अपील दायर करने में 650 दिनों की देरी पता बदलने के कारण नोटिस की सेवा न देने की उनकी याचिका, उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं की गई-उच्च न्यायालय ने अपील को समय बाधित मानते हुए खारिज कर दिया कि देरी का पर्याप्त कारण स्थापित नहीं किया गया था-अपील पर, कहा गयाः इस मामले में, अपीलार्थी ने अमलनेर से नासिक में अपना पता बदलते हुए मतदाता सूची/आधार कार्ड सहित दस्तावेज प्रस्तुत किए थे-दूसरी ओर, प्रत्यर्थी ने अमलनेर की मतदाता सूची स्वयं प्रस्तुत की थी जिसमें तर्क दिया गया था कि अपीलार्थी का नाम अभी भी मौजूद है-ऐसी स्थिति में, बिना किसी जांच के और अपीलार्थी के स्पष्टीकरण पर अविश्वास करने वाले निष्कर्ष पर पहुंचे बिना, उच्च न्यायालय देरी की माफी के लिए आवेदन को अस्वीकार करने में उचित नहीं था-उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दिया गया-उच्च न्यायालय दूसरी अपील पर विचार करने और इसे तेजी से निपटाने के लिए।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1 इस मामले में, अपीलार्थी ने अपने परिवर्तन को दर्शाने वाले मतदाता सूची/आधार कार्ड सहित दस्तावेज भी प्रस्तुत किए थे

अमलनेर से नासिक तक का पता। दूसरी ओर, प्रतिवादी ने अमलनेर की मतदाता सूची स्वयं प्रस्तुत की थी

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह तर्क देते हुए कि अपीलार्थी का नाम अभी भी मौजूद है। हालांकि, ऐसी स्थिति में बिना किसी जांच के और अपीलार्थी के स्पष्टीकरण पर अविश्वास करने वाले निष्कर्ष पर पहुंचे बिना, उच्च न्यायालय ने देरी को माफ करने के लिए आवेदन को खारिज कर दिया। [पैरा 14] [1130-बी-सी]

2. पेरुमन भगवती देवस्वोम के निर्णय के अनुसार,

न्यायालय, अपीलीय स्तर पर लंबित मामलों के संबंध में देरी की माफी के मुद्दे पर विचार करते समय, अधिवक्ता आमतौर पर उन वादियों को सूचित करते हैं जो संपर्क में होने वाले हैं। कभी-कभी, वे अपने ग्राहकों को आश्वस्त करते हैं कि जब मामला सुनवाई के लिए तैयार होगा तो वे उन्हें जानकारी देंगे। इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने दूसरी अपील को केवल आधार पर खारिज करने में गलती की।

सीमाएँ। दूसरी अपील उच्च न्यायालय में होती है यदि उच्च न्यायालय संतुष्ट होता है कि कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है। उच्च न्यायालय प्रवेश के लिए दूसरी अपील पर यथासंभव शीघ्रता से विचार करेगा। [पारस 15,16] [1130-सी-एफ]

पेरुमन भगवथ्यु देवस्वोम पेरिनाडु गाँव बनाम।

भार्गवी अम्मा (मृत) एल. आर. एस. और अन्य (2008) 8 एससीसी 321: [2008] 11 एस. सी. आर. 1-पर निर्भर।

मोहन वी. आर. मधु 2019 (16) स्केल 602; रोहिन थापा वी. रोहित डोरा (2019) 7 एस. सी. सी. 359 संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2008] 11 एससीआर 1

उस पर भरोसा करें

पैरा

8

2019 (16) स्केल 602

पैरा

9

संदर्भित किया गया है

(2019) 7 एस. सी. सी. 359

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.6315

2021 .

उच्च न्यायालय के 07.08.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2017 की दूसरी अपील (एसटी) No.31286 में 2017 के सिविल आवेदन संख्या 12143 में औरंगाबाद में बॉम्बे बेंच में न्यायिक कार्य।

विवेक सोलशे, वरुण सोलशे, विजय खामकर, अंजनी कुमार झा,

अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

निशांत रमाकांतराव कटनेश्वरकर, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

डॉ. यशवंतराव भास्करराव देशमुख बनाम। रघुनाथ किसान सैंदाने

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

जे. के. माहेश्वरी, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. यह अपील बॉम्बे के उच्च न्यायालय, औरंगाबाद की पीठ द्वारा सिविल पर 7.8.2018 पर पारित निर्णय से उत्पन्न होती है।

2017 की दूसरी अपील (एसटी) संख्या 31286 में 2017 की आवेदन संख्या 12143 ने देरी को माफ करने और अपील को सीमा द्वारा वर्जित करने की मांग करने वाले आवेदन को खारिज कर दिया।

अपीलार्थी ने मौजे हिंगोन सिम तहसील अमलनेर में स्थित 1.54 हेक्टेयर की कृषि भूमि के संबंध में दिनांकित 18.2.1998 को बेचने के लिए एक समझौते के आधार पर अपील की। सिविल जज (सीनियर डिवीजन), अमलनेर द्वारा 2001 के स्पेशल सिविल सूट नंबर 2 में उक्त मुकदमे को आंशिक रूप से एकतरफा निर्णय द्वारा एक करोड़ रुपये की राशि की वसूली का निर्देश दिया गया था। 61,000 / - अपीलार्थी (उसमें प्रतिवादी) से 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ, जबकि अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए राहत से इनकार कर दिया गया था। 4. प्रत्यर्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष पहली अपील को प्राथमिकता दी। अपीलार्थी को विधिवत सेवा प्रदान की गई और वकील के माध्यम से उक्त मामले में पेश किया गया। हालाँकि, जिला न्यायालय के आर्थिक अधिकार क्षेत्र में वृद्धि के कारण, उक्त अपील उच्च न्यायालय से जिला न्यायालय में स्थानांतरित हो गई। इसके बाद, अपीलार्थी को एक नया नोटिस जारी किया गया, जिसे कागजी प्रकाशन के माध्यम से दिया गया। अपीलार्थी पेश नहीं हुआ, और अपने परिवर्तन के कारण नोटिस की तामील न करने का बहाना लिया।

2012 की नियमित सिविल अपील संख्या 31 को दिनांकित 8.09.2015 के निर्णय के माध्यम से अनुमति दी गई और प्रतिवादी (उसमें वादी) के पक्ष में विशिष्ट प्रदर्शन की डिक्री प्रदान की गई। 5. तदर्थ जिला न्यायाधीश-I के फैसले से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरी अपील दायर की

बॉम्बे, औरंगाबाद की पीठ ने 18.9.2017 पर, अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क देते हुए कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय केवल 14.9.2017 पर उनके संज्ञान में आया। अपील दायर करने में 650 दिनों की देरी हुई। हालाँकि, अपील में निर्णय की जानकारी की कमी के कारण देरी को समझाते हुए, क्षमा के लिए प्रार्थना की गई थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

6. 2017 की दूसरी अपील (एसटी) संख्या 31286 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 07.08.2018 के विवादित फैसले द्वारा, माफी की मांग करने वाले आवेदन को यह देखते हुए खारिज कर दिया गया था कि पते के परिवर्तन के कारण नोटिस की सेवा न देने की याचिका स्वीकार्य नहीं थी। यह भी देखा गया कि अपीलार्थी ने स्वयं लापरवाही की थी और निचली अपीलीय अदालत में लगे अपने वकील से संपर्क नहीं किया था। हालांकि, उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी, जो पिछले 17 वर्षों से मुकदमा लड़ रहा था, उसे उस मूल्यवान अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए जो उसे प्राप्त हुआ था। इन टिप्पणियों के साथ, क्षमा की मांग करने वाले आवेदन को खारिज कर दिया गया, दूसरी अपील को समय की पाबंदी के रूप में खारिज कर दिया गया।

7. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने दृढ़ता से आग्रह किया है कि

मुकदमा अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए दायर किया गया था। लिए गए बचाव के अनुसार, समझौते से ही यह स्पष्ट है कि यह कोई समझौता नहीं था

बेचने के लिए लेकिन एक पैसे का लेन-देन, जिसमें रु। 90,000 / - वापस कर दिया गया है और केवल रु। 51,000 / - रह गया था। इसके अलावा, रु। 10,000 / - बाद में भुगतान किया और उसमें अनुमोदन किया। निचली अदालत ने बकाया राशि की वापसी के लिए आंशिक रूप से मुकदमे का फैसला सुनाया। विशिष्ट निष्पादन का आदेश एक विवेकाधीन राहत है, जैसा कि विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 16 के तहत निर्दिष्ट किया गया है। हालाँकि, दावे को चुनौती देने के लिए सुनवाई का अवसर दिए बिना, निचली अपीलीय अदालत ने प्रतिवादी की अपील को स्वीकार कर लिया और एक एकतरफा निर्णय और विशिष्ट निष्पादन की डिक्री पारित की। वकील ने तर्क दिया कि सीमा के आधार पर दूसरी अपील को खारिज करना पूरी तरह से अनुचित है।

8. दलीलों के समर्थन में, पेरुमन भगवथ्यु देवस्वोम के मामले में इस न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा किया गया है।

एल. आर. एस. और अन्य द्वारा पेरिनाडू ग्राम बनाम भार्गवी अम्मा (मृत) (2008) 8 एस. सी. सी. 321 यह तर्क देने के लिए कि जब अपीलीय अदालत में अपील लंबित है, जहां आवधिक तिथियां नहीं दी जा रही हैं, तो पक्षों को दोष नहीं दिया जा सकता है क्योंकि वकील पक्षों को सूचित करता है कि वे सुनवाई के लिए मामला सूचीबद्ध होने पर संपर्क करेंगे। उस मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए जिसमें प्रकाशन द्वारा भेजी गई अपील का नोटिस कथित रूप से जारी नहीं किया गया है और पते के परिवर्तन के दस्तावेज दिए गए हैं।

अपीलार्थी के साथ-साथ प्रत्यर्थी द्वारा दायर, जो अभिलेख में हैं, ऐसी स्थिति में उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

9. रिलायंस को आगे एन. मोहन बनाम आर. मधु 2019 (16) स्केल 602 में इस न्यायालय के फैसले पर रखा गया है। उक्त मामले में, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए और न्याय के हित में, राशि जमा करने के अधीन एक अवसर प्रदान किया गया था।

10. रिलायंस को आगे इस न्यायालय के निर्णय पर रोहिन थापा बनाम रोहित डोरा (2019) 7 एस. सी. सी. 359 में रखा गया है, जिसमें यह न्यायालय

समझौते की राशि जमा करने और स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क की राशि को आगे जमा करने के निर्देश के अधीन, देरी को माफ करने और अदालत द्वारा निष्पादित बिक्री विलेख को भी अलग करने का निर्देश दिया गया। इसलिए, अपीलार्थी को विशिष्ट निष्पादन के मुकदमे में विलंब को माफ करने का अवसर दिया जा सकता है, बशर्ते शर्तों को लागू किया जाए, जैसा कि उचित समझा जाए। 11. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील का तर्क है कि अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक मुकदमा बहुत पहले दायर किया गया था और प्रत्यर्थी पिछले 20 वर्षों से मामले को लड़ रहा है। निचली अदालत में उक्त मुकदमे में, अपीलार्थी एकतरफा रहा। हालांकि, मुकदमे को आंशिक रूप से खारिज कर दिया गया था। उच्च न्यायालय के समक्ष पहली अपील दायर करने पर, नोटिस जारी किया गया और अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व एक

अधिवक्ता। बाद में, आर्थिक अधिकार क्षेत्र में वृद्धि के कारण, उक्त

अपील को तदर्थ जिला न्यायाधीश-I, अमलनेर की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया, जहाँ अपील की सूचना प्रकाशन के माध्यम से दी गई थी। द. अपीलार्थी ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का विकल्प नहीं चुना, हालाँकि विशिष्ट निष्पादन की मांग करने वाले मुकदमे का आदेश दिया गया था। अपीलार्थी

एकतरफा रहा और निष्पादन दाखिल करने पर, बिक्री विलेख भी निष्पादित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष दायर अपील को 650 दिनों की सीमा से रोक दिया गया था, जिसे ईमानदारी से नहीं समझाया गया है। ऐसे मामले में, इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

12. पक्षकारों के विद्वान परामर्श को सुनने के बाद और अवलोकन पर

मामले के तथ्यों में से, विशिष्ट प्रदर्शन की मांग करने वाला मुकदमा दिनांक 18.2.1998 को बेचने के समझौते पर आधारित था। बेचने के उक्त समझौते के अनुसार, अपीलार्थी 5 बीघा जमीन रुपये की दर से बेचने पर सहमत हो गया था। 51000 / - प्रति बीघा। बेचने के समझौते पर प्रविष्टियों के अनुसार, एक निश्चित राशि का भुगतान किया गया था। बाद में, कुछ धनवापसी भी दर्ज की जाती है और उस पर स्वीकार किया जाता है। ट्रायल कोर्ट ने इस पर विचार करते हुए विशिष्ट प्रदर्शन का आदेश देने से इनकार कर दिया, लेकिन रुपये वापस करने का निर्देश दिया।

61,000 / - ब्याज के साथ। उक्त आदेश को निचली अपीलीय अदालत ने विशिष्ट निष्पादन का निर्देश देते हुए उलट दिया था। दोनों न्यायालयों में,

अपीलार्थी एकतरफा बना रहा।

13. अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर की, जिसे सीमा द्वारा वर्जित बताते हुए खारिज कर दिया गया है। उच्च न्यायालय ने, जबकि

दूसरा [2021] 6 एस. सी. आर. दाखिल करने में देरी की माफी की मांग करने वाले आवेदन को खारिज करना।

उस मूल्यवान अधिकार का जो उसे प्राप्त हुआ है। 14. इस मामले में, अपीलार्थी ने मतदाता सूची/आधार कार्ड सहित दस्तावेज भी प्रस्तुत किए हैं, जिसमें उनका पता परिवर्तन दिखाया गया है।

अमलनेर से नासिक। दूसरी ओर, प्रत्यर्थी ने स्वयं अमलनेर की मतदाता सूची प्रस्तुत की है जिसमें तर्क दिया गया है कि अपीलार्थी का नाम अभी भी मौजूद है। हालांकि, ऐसी स्थिति में बिना किसी जांच के और अपीलार्थी के स्पष्टीकरण पर अविश्वास करने वाले निष्कर्ष पर पहुंचे बिना, उच्च न्यायालय ने देरी को माफ करने के लिए आवेदन को खारिज कर दिया।

15. पेरुमन भगवती देवस्वोम के निर्णय के अनुसार

(ऊपर), न्यायालय ने अपीलीय स्तर पर लंबित मामलों के संबंध में देरी को माफ करने के मुद्दे पर विचार करते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि अधिवक्ता आमतौर पर उन वादियों को सूचित करते हैं जो संपर्क में होने वाले हैं।

कभी-कभी, वे अपने ग्राहकों को आश्वासन देते हैं कि जब मामला सुनवाई के लिए तैयार होगा तो वे उन्हें जानकारी देंगे। उपरोक्त पहलू पर विचार करते हुए और एक उदार दृष्टिकोण लेते हुए, हमारी यह सुविचारित राय है कि उच्च न्यायालय ने दूसरी अपील को केवल सीमा के आधार पर खारिज करने में गलती की है। इसलिए, उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है।

उच्च न्यायालय प्रवेश के लिए दूसरी अपील पर यथासंभव शीघ्रता से, अधिमानतः एक महीने के भीतर, और यदि दूसरी अपील स्वीकार की जाती है, तो इस निर्णय और आदेश के संचार की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर निर्णय लेने और अंत में उसका निपटारा करने के लिए। 17. यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि ऊपर की गई टिप्पणियों में से किसी को भी गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा।

दूसरी अपील और पक्षकारों के लिए कोई बाधा पैदा नहीं करेगी।

18. इस प्रकार, अपील का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाता है। कोई आदेश नहीं

लागतों के बारे में।

देविका गुजराल

अपी

ल का निपटारा किया गया।